न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/18	03.04.2018	14/6/2019

1. राजबीर पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– प्रार्थीगण/वादीगण

:: बनाम ::

1. हीरालाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
2. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम, जिला–अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री रामफल यादव अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री आनंद राव अभिभाषक अप्रार्थीगण

:– प्रार्थी/वादी

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिपत विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी का मालिक चन्दर उर्फ चन्दरिया था और उनकी मृत्यु के पश्चात यह भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के पिताजी श्री रामजीलाल को विरासत में प्राप्त हुई और श्री रामजीलाल जी भी फौत हो गये तथा खसरा नम्र 556, 599, 571 रामजीलाल जी को प्राप्त हुई। खसरा नम्बर 556 व 599 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क पर आबादी से लगती हुई भूमि है इस भूमि को चालाकी से अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 556, 599, 571 में जरे हक हिस्सा निहित था उससे विनिमय विलेख द्वारा दिनांक 23.01.2012 को खिलाफ मौका , खिलाफ कानून बिना मिन प्रार्थी की सलाह के कर लिया जबकि यह भूमि दादालाई की सम्पत्ति है। विनिमय विलेख में प्रथम पक्ष श्री रामजीलाल जी की उम्र 80 वर्ष दर्शाई गई है जो कि बिल्कुल सीधा व्यक्ति था और इस उम्र में सोचने समझने की शक्ति व ऑखो से दिखाई व कानो से सुनाई न के बराबर हो जाती है और अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी चालाकी से पेशन दिलाने के बहाने से कोटकासिम लेकर आया और यह विनिमय विलेख खिलाफ मौका व खिलाफ कानून लिखा गया। क्योंकि आराजी खसरा नम्बर जो पैत्रिक आराजी है व खसरा नम्बर 556, 599 किता 2 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा सालिम व खसरा नम्बर 571 में से 19/22 दर 1/2 भाग अप्रार्थी सं0 1 ने अपने नाम करा लिया और इसके बदले में खसरा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

नम्बर 803/2–02, 825/2–03 किता 2 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा का 1/4 भाग व खसरा नम्बर 802/4–09 बीघा का 1/2 भाग जो अप्रार्थी सं0 1 का था वो श्री रामजीलाल को दे दिया गया ये आराजी बिना रास्ते की, आबादी व सड़क से दूर कम कीमत की व कम उपजाऊ है क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 चालाक व्यक्ति रहा है जिसने अपनी चालाकी से व अपने वृद्ध अन्धे, बहरे पिताजी से अपने आपको फायदा पहुँचाने की गरज से व मिन प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने के लिये ये विनिमय विलेख खिलाफ मौका व खिलाफ कानूनन कराया और इससे मिन प्रार्थी के अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है क्योंकि विरासत की भूमि जो रामजीलाल जी फौतगी के बाद प्राप्त हुई है उसमें पुनः अप्रार्थी सं0 1 ने 1/4 हिस्से प्राप्त कर लिया और तो और जो रामजीलाल की विरासत में भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 को तथा दो बहने सुशीला व सविता को प्राप्त हुई उसमें से भी सुशीला व सविता ने अप्रार्थी सं0 1 के हक में अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया जबकि ऐसा हक त्याग भी कानूनन शून्य है क्योंकि ये हक त्याग भी समान भाग में होना था। मिन प्रार्थी विवादित आराजीयात में अपने 1/2 भाग पर मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस वाकयात की जानकारी मिन प्रार्थी जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास नकल जमाबंदी लेने के लिये दिनांक 10.05.2018 को गया तब हुई जिस पर अप्रार्थी सं0 1 से भी मिन प्रार्थी ने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मैने जो करा लिया विनिमय विलेख व रिलीज डीड कराई है व मैरे मन की मर्जी है वो मेरी चालाकर हेतु और कानून मेरा कुछ नही बिगाड सकता है इस तरह अप्रार्थी सं0 1 रिकोर्ड को दुरूस्त कराने के लिये व हक हिस्सा देने के लिये साफ इंकार हो गया और विवादित आराजी को दीगर लोगो को बेचान करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद कराने का अधिकारी हूं।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 571/0.11, 556/1–15, 599/1–06 बीघा वाके ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थी के हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 2 विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेज पंजिबद्ध व तस्दीक ना करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि वादी/प्रार्थी ने मिथ्या वाद पत्र शपथ पत्र फर्जी वो नुमायशी दस्तावेजात पेश किये है कि जिससे वादी का केस किसी भी प्रकार से प्राइमाईफेसाई आयद वो साबित नही होता है। उक्त आराजी रामजीलाल की कब्जा काश्त की आराजी थी कि जो विनिमय विलेख दिनांक 23.01.2012 के रामजीलाल से मिन प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी आराजी ख0 सं0 803 रकबा 2–02, 825 रकबा 2–03 बीघा का 1/4 भाग व ख0 सं0 802 रकबा 4–09 बीघा का 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम अलवर राज0 से तथा ख0 सं0 571 रकबा 0–11 बीघा में से 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 23.01.2012 के बाजाप्ता बाकब्जा प्राप्त की हुई है तथा जरिये विनिमय विलेख के मिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में मिन प्रतिवादी सं0 1 के नाम का अमल दरामल हो रहा है। रामजीलाल की आराजी खं0 सं0 556 रकबा 1–15, 599 रकबा 1–06 बीघा व 571 रकबा 0–11 बीघा ग्राम पाटन अहीर की ऐवज में मिन प्रतिवादी ने अपनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी खं0 सं0 803, 825 रकबा 4–05 बीघा का 1/4 भाग ख0 सं0 802 रकबा 4–09 बीघा का 1/2 भाग तबादलानामा में दी थी। तथा ख0 सं0 571

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रकबा 0–11 बि0 का 1/2 भाग जरिये बयनामा दिनांक 23.01.2012 के रामजीलाल से खरीद की थी जिसका नामान्तकरण भी जरिये तबादलानामा व बयनामा के आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड मिन प्रतिवादी के नाम हो गया है। तथा अब बद्धयान्ति पूर्वक वादी ने मौजूदा वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान में पेश किया है। मिन प्रतिवादी व रामजीलाल की विवादित आराजीयात का तबादलानाना विधिवत रूप से बाद तहरीर व तकमील के तस्दीक किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में समस्त तथ्य मिथ्या बनावटी मनघडन्त दर्ज दावा किये गये है। इसलिए कानूनी रूप से विवादित आराजीयात का तबादलानामा शून्य नही किया जा सकता है। ना ही वादी /प्रार्थी को तबादलानामा किसी प्रकार से नल एण्ड वाईड शून्य करार ही दिलाने का अधिकारी है। क्योंकि तबादलानामा एवं बयनामा को मन्सूख करने का केवल माननीय दीवानी न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादी ने विवादित आराजी के तबादलानामा एवं बयनामा को शून्य कराने हेतु वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है चूंकि तबादलानामा एवं बयनामा को शून्य करार देने का अधिकार केवल मात्र दीवनी न्यायालय को ही प्राप्त है। वादी को दीवानी न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। इसलिए वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है। विवादित आराजीयात रामजीलाल की कब्जा काश्त की आराजी ख0 स0 556 रकबा 1–15, 599 रकबा 1–06 किता 2/3–01 बीघा सालिम व 556/0–11 बीघा का 1/2 भाग थी कि जिसको जरिये विनिमय विलेख दिनांक 23.01.2012 के रामजीलाल से मिन प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी आराजी ख0 सं0 803 रकबा 2–02, 825 रकबा 2–03 बीघा का 1/4 भाग व ख0 सं0 802 रकबा 4–09 बीघा का 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 से तथा रामजीलाल का ख0 सं0 571 रकबा 0–11 बीघा मे से 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 23.01.2012 के बाजाप्ता बाकब्जा प्राप्त हुई है। विनिमय विलेख एवं बयनामा के आधार पर मिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में अमल दरामद हो रहा है। अब वादी ने बद्धयान्ति पूर्वक मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान में वाद पेश किया है कि जो वाद वादी चलने योग्य नही है मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है। चूंकि वादी को तबादलानामा एवं बयनामा को शून्य कराने हेतु दीवानी न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। ऐसी सूरत में वाद वादी मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिविक्ता वादी/प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा कि प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए तीन बिन्दू प्राईमाफेसाई, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति साबित करना होता है। विवादित आराजी का मालिक चन्दर उर्फ चन्दरिया था और उनकी मृत्यु के पश्चात यह भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के पिताजी श्री रामजीलाल को विरासत में प्राप्त हुई और श्री रामजीलाल जी भी फौत हो गये तथा खसरा नम्बर 556, 599, 571 रामजीलाल जी को प्राप्त हुई। खसरा नम्बर 556 व 599 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क पर आबादी से लगती हुई भूमि है इस भूमि को चालाकी से अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 556, 599, 571 में जरे हक हिस्सा निहित था उससे विनिमय विलेख द्वारा दिनांक 23.01.2012 को खिलाफ मौका , खिलाफ कानून बिना मिन प्रार्थी की सलाह के कर लिया जबकि यह भूमि दादालाई की सम्पत्ति है। विनिमय विलेख में प्रथम पक्ष श्री रामजीलाल जी की उम्र 80 वर्ष दर्शाई गई है जो कि बिल्कुल सीधा व्यक्ति था और इस उम्र में सोचने समझने की शक्ति व ऑखो से दिखाई व कानो से सुनाई न के बराबर हो जाती है और अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी चालाकी से पेशन दिलाने के बहाने से कोटकासिम लेकर आया और यह विनिमय विलेख खिलाफ मौका व खिलाफ कानून लिखा गया। क्योंकि आराजी खसरा नम्बर जो पैत्रिक आराजी है व खसरा नम्बर 556, 599 किता 2 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा सालिम व खसरा नम्बर 571 में से 19/22 दर 1/2 भाग अप्रार्थी सं0 1 ने अपने नाम करा लिया और इसके

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

बदले में खसरा नम्बर 803/2–02, 825/2–03 किता 2 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा का 1/4 भाग व खसरा नम्बर 802/4–09 बीघा का 1/2 भाग जो अप्रार्थी सं0 1 का था वो श्री रामजीलाल को दे दिया गया ये आराजी बिना रास्ते की, आबादी व सड़क से दूर कम कीमत की व कम उपजाऊ है क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 चालाक व्यक्ति रहा है जिसने अपनी चालाकी से व अपने वृद्ध अन्धे, बहरे पिताजी से अपने आपको फायदा पहुँचाने की गरज से व मिन प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने के लिये ये विनिमय विलेख खिलाफ मौका व खिलाफ कानूनन कराया और इससे मिन प्रार्थी के अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है क्योंकि विरासत की भूमि जो रामजीलाल जी फौतगी के बाद प्राप्त हुई है उसमें पुनः अप्रार्थी सं0 1 ने 1/4 हिस्से प्राप्त कर लिया और तो और जो रामजीलाल की विरासत में भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 को तथा दो बहने सुशीला व सविता को प्राप्त हुई उसमें से भी सुशीला व सविता ने अप्रार्थी सं0 1 के हक में अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया जबकि ऐसा हक त्याग भी कानूनन शून्य है क्योंकि ये हक त्याग भी समान भाग में होना था। मिन प्रार्थी विवादित आराजीयात में अपने 1/2 भाग पर मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस वाकयात की जानकारी मिन प्रार्थी जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास नकल जमाबंदी लेने के लिये दिनांक 10.05.2018 को गया तब हुई जिस पर अप्रार्थी सं0 1 से भी मिन प्रार्थी ने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मैने जो करा लिया विनिमय विलेख व रिलीज डीड कराई है व मैरे मन की मर्जी है वो मेरी चालाकर हेतु और कानून मेरा कुछ नही बिगाड सकता है इस तरह अप्रार्थी सं0 1 रिकोर्ड को दुरूस्त कराने के लिये व हक हिस्सा देने के लिये साफ इंकार हो गया और विवादित आराजी को दीगर लोगो को बेचान करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये प्राइमाफेसाई प्रार्थी के हक में पूरी तरह साबित है। जब प्राइमाफेसाई साबित है तो प्रार्थी के हक में अन्य दो बिन्दु भी साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वांन अप्रार्थी संख्या–1 के अधिवक्ता का कथन है कि वादी/प्रार्थी ने मिथ्या वाद पत्र शपथ पत्र फर्जी वो नुमायशी दस्तावेजात पेश किये है कि जिससे वादी का केस किसी भी प्रकार से प्राइमाईफेसाई आयद वो साबित नही होता है। उक्त आराजी रामजीलाल की कब्जा काश्त की आराजी थी कि जो विनिमय विलेख दिनांक 23.01.2012 के रामजीलाल से मिन प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी आराजी ख0 सं0 803 रकबा 2–02, 825 रकबा 2–03 बीघा का 1/4 भाग व ख0 सं0 802 रकबा 4–09 बीघा का 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम अलवर राज0 से तथा ख0 सं0 571 रकबा 0–11 बीघा में से 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 23.01.2012 के बाजाप्ता बाकब्जा प्राप्त की हुई है तथा जरिये विनिमय विलेख के मिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में मिन प्रतिवादी सं0 1 के नाम का अमल दरामल हो रहा है। रामजीलाल की आराजी खं0 सं0 556 रकबा 1–15, 599 रकबा 1–06 बीघा व 571 रकबा 0–11 बीघा ग्राम पाटन अहीर की ऐवज में मिन प्रतिवादी ने अपनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी खं0 सं0 803, 825 रकबा 4–05 बीघा का 1/4 भाग ख0 सं0 802 रकबा 4–09 बीघा का 1/2 भाग तबादलानामा में दी थी। तथा ख0 सं0 571 रकबा 0–11 बि0 का 1/2 भाग जरिये बयनामा दिनांक 23.01.2012 के रामजीलाल से खरीद की थी जिसका नामान्तकरण भी जरिये तबादलानामा व बयनामा के आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड मिन प्रतिवादी के नाम हो गया है। तथा अब बद्धयान्ति पूर्वक वादी ने मौजूदा वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान में पेश किया है। मिन प्रतिवादी व रामजीलाल की विवादित आराजीयात का तबादलानामा विधिवत रूप से बाद तहरीर व तकमील के तस्दीक किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में समस्त तथ्य मिथ्या बनावटी मनघडन्त दर्ज दावा किये गये है। इसलिए कानूनी रूप से विवादित आराजीयात का तबादलानामा शून्य नही किया जा सकता है। ना ही

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी /प्रार्थी को तबादलानामा किसी प्रकार से नल एण्ड वाईड शून्य करार ही दिलाने का अधिकारी है। क्योंकि तबादलानामा एवं बयनामा को मन्सूख करने का केवल माननीय दीवानी न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादी ने विवादित आराजी के तबादलानामा एवं बयनामा को शून्य कराने हेतु वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है चूंकि तबादलानामा एवं बयनामा को शून्य करार देने का अधिकार केवल मात्र दीवनी न्यायालय को ही प्राप्त है। वादी को दीवानी न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। इसलिए वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है। विवादित आराजीयात रामजीलाल की कब्जा काश्त की आराजी ख0 स0 556 रकबा 1–15, 599 रकबा 1–06 किता 2/3–01 बीघा सालिम व 556/0–11 बीघा का 1/2 भाग थी कि जिसको जरिये विनिमय विलेख दिनांक 23.01.2012 के रामजीलाल से मिन प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी आराजी खं0 सं0 803 रकबा 2–02, 825 रकबा 2–03 बीघा का 1/4 भाग व ख0 सं0 802 रकबा 4–09 बीघा का 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 से तथा रामजीलाल का ख0 सं0 571 रकबा 0–11 बीघा मे से 1/2 भाग ग्राम पाटन अहीर को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 23.01.2012 के बाजाप्ता बाकब्जा प्राप्त हुई है। विनिमय विलेख एवं बयनामा के आधार पर मिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में अमल दरामद हो रहा है। अब वादी ने बद्धयान्ति पूर्वक मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान में वाद पेश किया है कि जो वाद वादी चलने योग्य नही है मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है। चूंकि वादी को तबादलानामा एवं बयनामा को शून्य कराने हेतु दीवानी न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने दिनांक 09.11.2017 को एक वाद खारिज कर विड्रा करा लिया उसमें भी वादी वकील वर्तमान वकील ही है। प्रार्थी तीनो बिन्दू साबित करने में असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी कोई अनुतोष पाने के काबिल नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सगे भाई है। वादभूमि खसरा न0 556 व 599 प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक सम्पति है। ख0न0 571, 803, 802, 825 की भूमि अप्रार्थी की खरीदशुदा भूमि थी। वाद भूमि ख0न0 556 व 599, 571 की भूमि रामजीलाल को विरासतन प्राप्त हुई। रामजीलाल को संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते उक्त भूमि पर पूर्ण स्वामित्व हॉसिल था। कर्ता खानदान होने के नाते रामजीलाल को वादभूमि के प्रबन्धन का भी पूरा अधिकार था। रामजीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि अपने पुत्र अप्रार्थी हीरालाल की खरीदशुदा भूमि ख0 न0 802, 803, 825 से जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र तबादला कर ली। उक्त विनिमय रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज करने बाबत साक्ष्य पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार पर वादभूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी हीरालाल के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुकी है। वादभूमि के विनिमय में रामजीलाल को प्राप्त ख0न0 802, 803, 825 की भूमि रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुई, व रामजीलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल उसके वारिसान के नाम दर्ज हो चुका है। ख0न0 571/0.11 बीघा का 1/2 भाग अप्रार्थी ने रामजीलाल से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की थी। रामजीलाल का अपने पुत्र पुत्रियों को अपनी पैतृक सम्पति में जन्म से हक हिस्सा मानते हुए स्वय का जो हिस्सा बनता था उसे अपने जीवनकाल में अन्तरण जरिये बैयनामा करने का पूरा अधिकार था। इस प्रकार उक्त दोनो रजिस्टर्ड विनिमय विलेख व रजिस्टर्ड बैयनामा किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नही है। प्रार्थी राजवीर का अपनी पैतृक सम्पति में जितना हक हिस्सा निहित है वह जरिये विरासतन प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नही पाया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)

Scanned by CamScanner

"556"

वादभूमि खसरा नं0 566, 599, 571 वर्तमान में अप्रार्थी हीरालाल के नाम खातेदारी दर्ज है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण अप्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग उपयोग स्वतंत्र रूप से नही कर पा रहा है। उक्त आराजी अप्रार्थी को अपनी खरीदशुद्धा आराजी के विनिमय में प्राप्त हुई है अतः इस आराजी अप्रार्थी को पूर्ण स्वामित्व व हक है, इस आराजी में प्रार्थी को कोई हक हिस्सा नही है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।

जब प्रार्थी को अपनी पैतृक सम्पति में अपना हक हिस्सा पूरा प्राप्त हो चुका है। वाद भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है तो प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूणीय क्षति कोई संभावना नही है। प्रार्थी अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित ना होने पर खारिज किया जाता है। दिनांक 16.05.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/6/2019 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास नाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) सत्यमेव जयते

(राजकुमार कस्वा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner